कार्यालय जिलाधिकारी, सीतापुर।

(खनन अनुभाग)

संख्या 274 /खनन / ड्रेजिंग /2024–25 दिनांक 22/07/2024

उपखनिज के निस्तारण/निकासी के लिए ई–निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचनाः

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सीतापुर में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम शंकरपुर (अखरी के निकट) व अन्य ग्राम समूहों तथा चहलारी–गनेशपुर तटबंध की बाढ़ एवं कटान से सुरक्षा हेतु नदी के दायें तरफ ड्रेजिंग एवं चैनलाइजेशन के फलस्वरूप निकले ड्रेज्ड मैटेरियल/साधारण बालू को निस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश सं0 86–01099/51/2023 दिनांक 19–03–2024 में दिये गये निर्देशानुसार ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से सा0 बालू हटाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 134/खनन/ड्रेजिंग/2024–25 दिनांक 15.06.2024 के द्वारा दिनांक 22.06.2024 से 29.06.2024 तक 07 लाटो को विज्ञापित किया गया था जिसे नियत तिथि दिनांक 01.07.2024 को खोले जाने पर कोई ई–निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः दिनांक 31/07/24 से दिनांक 07/08/24 सायं 5:00 बजे तक क्षेत्र से भण्डारित बालू उठान हेतु www.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल साधारण बालू का विवरण –

क्रम सं0	खनिज का नाम	नदी का नाम	निरीक्षणेपरान्त माप की गई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)	साइड	अक्षांस	देशान्तर	रायल्टी दर	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	कुल धनराशि का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी
1	सा0 बालू (द्वितीय श्रेणी)	घाघरा	250×30×3.5	26250	A	27.328199	81.381191	55.00	1443750	360938
					B	27.325461	81.381787			
2			260×50×5.5	71500	A	27.324828	81.381703	55.00	3932500	983125
					B	27.322156	81.383829			
3			350×55×3.5	67375	A	27.321967	81.383147	55.00	3705625	926407
					B	27.318246	81.3865			
4			140×43×5.3	31906	A	27.318205	81.386466	55.00	1754830	438708
					B	27.31707	81.387183			
5			500×60×1.2	36000	A	27.31687	81.387183	55.00	1980000	495000
					B	27.31248	81.393156			
6			330×45×5.0	74250	A	27.3105	81.39522	55.00	4083750	1020938
					B	27.309547	81.397549			
7			430×23×3.0	29670	A	27.30693	81.40046	55.00	1631850	407963
					B	27.304165	81.404061			

ई–निविदा की नियम व शर्ते www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

संख्याः–   /खनन /2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

3– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ विज्ञप्ति की प्रति मय सी0डी0 सहित प्रेषित है कि विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जनपद के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

4– जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर ।

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, सीतापुर।

(खनन अनुभाग)

संख्या 274 /खनन/ड्रेजिंग/2024–25 दिनांक 22/07/2024

उपखनिज के निस्तारण/निकासी के लिए ई–निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना :

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सीतापुर में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम शंकरपुर (अखरी के निकट) व अन्य ग्राम समूहों तथा चहलारी–गनेशपुर तटबंध की बाढ़ एवं कटान से सुरक्षा हेतु नदी के दायें तरफ ड्रेजिंग एवं चैनलाइजेशन के फलस्वरूप निकले ड्रेज्ड मैटेरियल/साधारण बालू को निस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश सं0 86–01099/51/2023 दिनांक 19–03–2024 में दिये गये निर्देशानुसार ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से सा0 बालू हटाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 134/खनन/ड्रेजिंग/2024–25 दिनांक 15.06.2024 के द्वारा दिनांक 22.06.2024 से 29.06.2024 तक 07 लाटो को विज्ञापित किया गया था जिसे नियत तिथि दिनांक 01.07.2024 को खोले जाने पर कोई ई–निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः दिनांक 31/07/24 से दिनांक 07/08/24 सांय 5:00 बजे तक भण्डारित क्षेत्र से बालू उठान हेतु www.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से पुनः ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल साधारण बालू का विवरण –

क्रम सं0	खनिज का नाम	नदी का नाम	निरीक्षणेपरान्त माप की गई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)	साइड	अक्षांस	देशान्तर	रायल्टी दर	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	कुल धनराशि का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी
1	सा0 बालू (द्वितीय श्रेणी)	घाघरा	250×30×3.5	26250	A	27.328199	81.381191	55.00	1443750	360938
					B	27.325461	81.381787			
2			260×50×5.5	71500	A	27.324828	81.381703	55.00	3932500	983125
					B	27.322156	81.383829			
3			350×55×3.5	67375	A	27.321967	81.383147	55.00	3705625	926407
					B	27.318246	81.3865			
4			140×43×5.3	31906	A	27.318205	81.386466	55.00	1754830	438708
					B	27.31707	81.387183			
5			500×60×1.2	36000	A	27.31687	81.387183	55.00	1980000	495000
					B	27.31248	81.393156			
6			330×45×5.0	74250	A	27.3105	81.39522	55.00	4083750	1020938
					B	27.309547	81.397549			
7			430×23×3.0	29670	A	27.30693	81.40046	55.00	1631850	407963
					B	27.304165	81.404061			

शर्तें निम्न प्रकार हैः–

1– उप खनिज निकासी की अवधि 06 माह की होगी । 06 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।

2– ड्रेज्ड भण्डारित बालू हटाने की अवधि 06 माह अथवा ड्रेजिंग का कार्य पुनः शुरूआत होने जिससे परिवहन मार्ग अवरूद्ध होने के कारण बालू हटाना सम्भव न हो, जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

3– कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:–

(क) विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र/भण्डारित बालू स्थल विज्ञापित किया गया हो

(ख) विज्ञप्ति में क्षेत्र/भण्डारित बालू स्थल का क्रमाक

(ग) निविदाकार का नाम व पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर

(घ) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है जिसमें निम्न हो–

उपखनिज का नाम –

तहसील का नाम –

भण्डारित स्थल का नाम/ग्राम –

(ड) निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता स्थाई और वर्तमान, ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में कोई एक मान्य होगा– वोटर आई0डी0/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)

(च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिए नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।

(छ) एकत्रित किये गये बालू की मात्रा (घनमी0) को नियमावली 2021 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 25% के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी सीतापुर के पक्ष में अग्रिम रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोल जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

(ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र

(झ) उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण–पत्र व हैसियत प्रमाण–पत्र जहां वह स्थाई रूप से निवास करता है।

(ञ) पैन कार्ड एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।

4– ई–निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 31/07/24 से दिनांक 07/08/24 को सायं 5:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जा सकेगी।

5– विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्यदिवस अर्थात दिनांक 08/08/24 **को अपरान्ह 3:00 बजे** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई–टेण्डर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।

6– बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 07/08/24 **को अपरान्ह 12.00 बजे तक** जमा करना होगा तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।

7– क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रतिघनमी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित बालू हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोडकर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

8– जिलाधिकारी कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

9– भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

10– क्षेत्र से निकासी की जानें वाली खनिज के प्रति घनमी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के दो दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी, जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।

11– निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

12— ई–निविदा में दी गयी दर को गुणाकर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी अग्रिम रूप में जमा 25% की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

13— ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14— मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

15— नियमावली 2021 की अनुसूची–1 में उपखनिज (साधारण बालू) द्वितीय श्रेणी की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रूपये 55/– घनमी0 है।

16— निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू उठान/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।

17— भण्डारण स्थल पर बालू जहां भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

18— निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 08/08/24...... को अपरान्ह 3:00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित निविदा समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थित में खोला जायेगा।

19— सफल निविदादाता को देय निविदा रायल्टी धनराशि पर 02% टी0सी0एस0, 10% जिला न्यास निधि देय होगी।

20— ई–निविदा की प्रकिया मे भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0–15000 का चालान/डी0डी0 प्रत्येक कम सं0 के लिए अलग–अलग जमा करना होगा।

जिलाधिकारी,
सीतापुर। 8/8

संख्या तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3— अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सीतापुर।
4— अधिशासी अभियन्ता, कार्यशाला स्थापन खण्ड–कानपुर।
5— अधिशासी अभियंता, बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड, कानपुर।
6— अधिशासी अभियंता, सीतापुर प्रखण्ड, सीतापुर।
6— प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ भूतत्व एवं खनिकर्म।
7— समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद सीतापुर को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
8— खान अधिकारी, सीतापुर।
09— नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट–सीतापुर को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी,
सीतापुर। 8/8

प्रारूप–2

ड्रेज्ड मैटिरियल/साधारण बालू निस्तारण हेतु ई–निविदा प्रपत्र

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा ई–निविदा आमंत्रित की गयी हो	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाइल नम्बर	
8	ई–मेल आई0डी0	
9	पैन कार्ड नम्बर	पैन कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
10	पता का प्रमाण–पत्र(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा) वोटर आई0डी0/पास्पोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण्ज्ञं	पहचान–पत्र की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
11	जिस क्षेत्र के निविदा दी जानी है उसका विवरण क. उप खनिज का नाम– ख. जनपद का नाम– ग. तहसील का नाम– घ. ड्रेज्ड मैटिरियल भण्डारण का स्थल– ड. क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या–	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र	घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र व हैसियत प्रमाण–पत्र.	चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
14	खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जा रही दर जो नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।	रू0– प्रति घन मी0 (अंको में) रू0– प्रति घन मी0 (शब्दों में)
15	विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिए दी गई ड्रेज्ड मैटिरियल भण्डार की मात्रा	————घनमीटर
16	क्षेत्र में ड्रेज्ड मैटिरियल भण्डार की मात्रा को नियमावली के अनुसूची–1 में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर से गुणा करने पर जो धनराशि आती है उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राप का विवरण	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि —— बैंक का नाम व शाखा——— बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–
स्थानः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHALINI KUMARI
Date: 2024.07.31 13:52:29 IST
Location: Uttar Pradesh-UP